

Order Sheet [Contd]

Case No 229/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28-06-17	<p>आवेदक/आरोपी भूरा की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद से प्र०क्र० 151/17 ई०फौ० शासन वि० रवि आदि प्राप्त।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया है कि प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र दिनांक 19.05.2017 को निरस्त किया गया है। अतः बदली हुई परिस्थितियों में यह आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 04.05.17 को दुधारू पशुओं की हाट गोहद में गाय खरीदने के लिए गया था उस समय उसके विरोधियों द्वारा उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से पुलिस मिलकर बंद करवा दिया है। इस संबंध में आवेदक के परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भी आवेदनपत्र दिया गया है। आवेदक से किसी प्रकार की कोई जप्ती आदि नहीं हुई है। प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और जप्तशुदा सम्पत्ति की कोई पहचान नहीं हुई है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर फरियादी विवेक अग्रवाल की राशन की दुकान से चोरी करने का आरोप है, किन्तु आवेदक/ अभियुक्त के विरुद्ध इस न्यायालय में लंबित अन्य जमानत आवेदनपत्र का अवलोकन किया गया तो पुलिस थाना गोहद में अभियुक्त के विरुद्ध अप०क्र० 97/17 चंचल व्यास की दुकान में जाकर चार साड़ियाँ व दो स्टील चोरी करने के संबंध में एवं अप०क्र० 45/17 मोटरसाइकिल चोरी करने के संबंध में आरोप है और इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त पर तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना दर्शित होता है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त पर विभिन्न चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं माना जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदनपत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।</p>	

अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदनत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0